

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC IV)/2018/346

दिनांक: 07.02.2018

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क.स. 1 से 3 तक वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31.3.2019 तक एवं क.स. 4 से 12 पर वर्णित ठेके की अवधि 1.4.2018 से 31.3.2020 तक) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है। उक्त बोली दो चरणों में ली जावेगी।

क्र.स	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	प्रथम चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	द्वितीय चरण हेतु योग्य पाये गये बोलीदाता को सूचित करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने की दिनांक	द्वितीय चरण में बोली प्रस्तुत करने का समय	उच्चतम बोलीदाता के नाम को घोषित करने की दिनांक
1	166	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले	ईआरसीसी	चाईनाक्ले	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	72147800	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	20.03.18


2	102	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील खेरवाडा व ऋषभदेव की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन (ग्रीन मार्बल)	ईआरसीसी	सरपेनटाईन (ग्रीन मार्बल)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	162500000	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम.	20.03.18
3	240	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील शिवगंज, पिण्डवाडा, रेवदर राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	11350000	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी.एम.	20.03.18
4	231	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ	जिला चित्तौडगढ की तहसील चित्तौडगढ के क्वारी क्षेत्र सावा-नूय-सावा में खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी) के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	9548500	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम.	20.03.18

5	232	सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमाधोपुर	जिला सवाईमाधोपुर की तहसील बौली एवं चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	6533400	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.	20.03.18
6	233	खनि अभियन्ता, जालोर	जिला जालोर की तहसील आहोर व जिला बाडमेर की तहसील सिवाणा व समदडी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	154478600	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	3.00 पी.एम. से 5.00 पी.एम.	20.03.18
7	234	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	जिला पाली (तहसील रायपुर को छोडकर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	128940000	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	4.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.	20.03.18

8	235	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी की राजस्व सीमा में खनिज रॉयोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रॉयोलाईट	ईआरसीसी	रॉयोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	10796800	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	20.03.18
9	236	खनि अभियन्ता, द्वितीय	जिला राजसमन्द, कुम्भलगढ (गढबोर), नाथद्वारा (खमनोर) एवं रेलमगरा की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाईपत्थर	ईआरसीसी	चुनाईपत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	29468700	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	11.00 ए.एम. से 1.00 पी. एम.	20.03.18




10	237	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं तुलाई शुल्क संग्रहण ठेका खनिज लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी) क्वारी क्षेत्र टाटरमाला, न्यू टाटरमाला, टाटरमाला ए, सालरमाला, नारेला, न्यू नारेला, बिनोता, बिनोता ए, खोडिप, मण्डला, माताजी, न्यू माताजी, सेंगवा, जालियां, गोपालपुरा, कचरिया खेडी ए, कचरिया खेडी बी, कचरिया खेडी सी, बावरी खेडा, धनोरा, कारुण्डा, करथाना भट्ट कोटडी, छोटी भाण्डी, बडी भाण्डी, चरलिया, मांगरोल, भावलिया तहसील निम्बाहेडा एवं खोडीप तहसील भदोसर जिला वित्तौडगढ	आरसीसी	लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	113859500	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	12.00 दोपहर से 2.00 पी. एम.	20.03.18
11	238	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील नवलगढ में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	6133300	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	1.00 पी.एम. से 3.00 पी. एम.	20.03.18



12	239	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला अलवर की तहसील थानागाजी की राजस्व सीमा में खनिज मारबल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मारबल	ईआरसीसी	मारबल	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम. एफ.टी.	45857700	09.03.18	12.03.18 को 8.00 पी.एम. तक	15.03.18 तक	16.03.18	2.00 पी.एम. से 4.00 पी.एम.	20.03.18
----	-----	--------------------	--	---------	-------	---------------------------------	----------	----------	----------------------------	-------------	----------	----------------------------	----------

नोट :-

- समस्त ठेकों, चाहे वह कितनी भी आरक्षित राशि के हैं, के ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु विभागीय पंजीयन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार अनिवार्य है।
- बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. पर पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका एड्रेस mstcecommerce.com है। पंजीयन के पश्चात एम.एस.टी.सी. द्वारा बोलीदाता को लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा। एम.एस.टी.सी. के साथ पंजीयन केवल एक बार ही करवाना होगा। उक्त पंजीयन के आधार पर इच्छुक व्यक्ति खनिज विभाग में ठेके तथा खनन पट्टे में बोली इत्यादि में भाग ले सकेंगे।
- बोलीदाता को आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि अमानत राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम. पी.एस. जमा करानी होगी। बोलीदाता को प्रथम चरण में आरक्षित राशि के बराबर अथवा उससे अधिक की प्रारम्भिक बोली (initial price offer) के रूप में दी जानी होगी। द्वितीय चरण में वे ही बोलीदाता भाग ले सकेंगे जिन्होंने प्रथम चरण में अपनी प्रारम्भिक बोली दी है तथा बोली (रैंक) के आधार पर द्वितीय चरण हेतु चयनित होंगे। प्रथम चरण में चयनित वे बोलीदाता जिन्हे द्वितीय चरण में भाग लेना है उन्हें जरिये ईमेल / एस.एम.एस. से सूचित किया जावेगा। प्रथम चरण में जो उच्चतम बोली प्राप्त होगी, वह द्वितीय चरण के लिये न्यूनतम बोली राशि अर्थात Floor price होगी। प्रथम चरण में योग्य घोषित बोलीदाता द्वितीय चरण में अपनी अंतिम बोली प्रस्तुत कर सकेंगे जो उक्त न्यूनतम बोली राशि (Floor price) से कम नहीं होगी। द्वितीय चरण में अंतिम बोली नीलामी समाप्त होने से पूर्व तक कितनी भी बार बढ़ाई जा सकती है। द्वितीय चरण में कोई बोली प्राप्त नहीं होने पर प्रथम चरण के उच्चतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। द्वितीय चरण में चयनित उच्चतम बोलीदाता को जरिये ईमेल / एस.एम.एस. सूचित किया जावेगा।
- रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- ई-ऑक्शन हेतु गार्डइलाइन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में किया गया है।
- प्रथम चरण में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची तथा शपथ पत्रों का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाइट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।


(एन.के. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक (खान) मु.

दिनांक: 07.02.2018

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC IV)/2018/377-411

प्रतिलिपि :-

- श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।


4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बारा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर


(ओ.पी. काबरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)